कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 181/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 10.05.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 10.05.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

➡ 33 लाख रुपये की जमीन धोखाधड़ी प्रकरण में न्यायालय के आदेशों की अवहेलना पर नया मुकदमा दर्ज

➡ धारा 84 बीएनएसएस की आदेशिका तामील होने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए अभियुक्त

➡ कोतवाली पुलिस की कार्यवाही जारी, मुख्य अभियुक्त पर गैंगस्टर समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज

थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ पर वादी द्वारा दर्ज कराए गए प्रकरण में आरोप लगाया गया था कि अभियुक्तगण द्वारा कोडर अजमतपुर क्षेत्र की भूमि को गलत तरीके से प्रस्तुत कर फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों तथा नक्शा नजरी के माध्यम से विश्वास में लेकर जमीन बैनामा कराने के नाम पर लगभग 33,30,000/- रुपये प्राप्त कर लिए गए तथा बाद में न तो जमीन उपलब्ध कराई गई और न ही धनराशि वापस की गई। मामले में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 92/2026 धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 352, 351(3), 111(7) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

उक्त मुकदमे में पूर्व में मुख्य अभियुक्त कृष्णचन्द राय पुत्र सुखसागर राय निवासी मुहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ हाल पता मोहल्ला बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ सहित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण रेनू राय पत्नी कृष्णचन्द राय एवं संगम राय पुत्र कृष्णचन्द राय निवासी मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 19.03.2026 को गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किया गया था।

दिनांक 11.04.2026 को धारा 84 बीएनएसएस की आदेशिका तामील कराए जाने के बावजूद अभियुक्तगण द्वारा मा0 न्यायालय में उपस्थित न होकर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की जा रही थी। उक्त कृत्य के संबंध में थाना कोतवाली पर दिनांक 10.05.2026 को मु0अ0सं0 213/2026 धारा 209 बीएनएस पंजीकृत किया गया। मामले में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 213/2026 धारा 209 बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

नामजद अभियुक्तगण-

1. रेनू राय पत्नी कृष्णचन्द राय निवासी मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जनपद आजमगढ़
2. संगम राय पुत्र कृष्णचन्द राय निवासी मोहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जनपद आजमगढ़

मुख्य अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 855/2011 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 1672/2011 धारा 342/395/397/506 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 158/2018 धारा 406/504/506 भादवि थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 159/2018 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
5. mu0अ0सं0 95/2019 धारा 120बी/506 भादवि थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 98/2001 धारा 323/419/420/467/468/471/506 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 353/2022 धारा 406/506 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
8. मु0अ0सं0 191/2023 धारा 120बी/406/419/420/427 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
9. मु0अ0सं0 581/2023 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)द/3(1)ध/3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
10. मु0अ0सं0 07/2024 धारा 323/325/34/342/427/506 भादवि थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
11. मु0अ0सं0 87/2025 धारा 419/420/467/468/471/364/120बी भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
12. मु0अ0सं0 148/2025 धारा 406/419/420/506 भादवि थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
13. मु0अ0सं0 92/2026 धारा 319(2)/318(4)/336(3)/338/340(2)/61(2)/111(7)/352/351(3) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
14. मु0अ0सं0 344/2025 धारा 3(1), 2(1)बी गैंगस्टर एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

अन्य अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. जितेन्द्र कुमार पुत्र श्यामधारी निवासी अजमतपुर कोडर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
    - मु0अ0सं0 191/2023 धारा 419/420/406/427/120बी भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
    - मु0अ0सं0 92/2026 धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 352, 351(3), 111(7) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ।

विवेचक-
निरीक्षक/उपनिरीक्षक रफी आलम
थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

➡ थाना सिधारी पुलिस की संवेदनशील एवं सराहनीय कार्यवाही से महिला एवं उसके पांच बच्चों को मिला पुनः आवास

➡ पुलिस के सतत प्रयासों एवं समन्वय से वर्षों पुराना पारिवारिक प्रकरण हुआ निस्तारित

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शुभम तोदी के निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सिधारी श्री राजीव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में थाना सिधारी पुलिस द्वारा एक महिला एवं उसके पांच बच्चों को उनके वैवाहिक आवास में पुनः सुरक्षित एवं सम्मानपूर्वक आवासित कराया गया।

उक्त प्रकरण में पीड़ित महिला को न्याय एवं आवास उपलब्ध कराने हेतु लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे, किन्तु विभिन्न परिस्थितियों के कारण प्रकरण का समाधान नहीं हो पा रहा था। थाना सिधारी पुलिस ने अत्यंत संवेदनशीलता, धैर्य एवं मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सभी पक्षों से लगातार संवाद एवं समन्वय स्थापित किया तथा मामले के शांतिपूर्ण समाधान हेतु निरंतर प्रयास किए।

इसी क्रम में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट एफ०टी०सी० (जूनियर डिवीजन), आजमगढ़ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उप निरीक्षक पूनम विश्वकर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए महिला एवं उसके पांचों बच्चों को पुनः उनके घर में सुरक्षित रूप से आवासित कराया गया।

पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था पूर्णतः बनाए रखी गई तथा समस्त आवश्यक वैधानिक कार्यवाही संपन्न की गई।

➡ जनपद पुलिस महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं उन्हें न्याय दिलाने हेतु सदैव प्रतिबद्ध है।

पुलिस टीम में शामिल-

01. प्रभारी निरीक्षक थाना सिधारी श्री राजीव कुमार मिश्र
02. उप निरीक्षक पूनम विश्वकर्मा
03. आरक्षी सत्यम श्रीवास्तव
04. आरक्षी विजय कुमार

थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

➡ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

➡ पीड़िता को धमकी देने के मामले में जहानागंज पुलिस की त्वरित कार्यवाही, अभियुक्त भेजा गया न्यायालय

थाना जहानागंज क्षेत्रांतर्गत दिनांक 23.03.2026 को वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्त पंकज पुत्र प्रधान निवासी ग्राम नूरपुर बुतात थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा उसके घर आने-जाने के दौरान कमरे में घुसकर उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया गया। विरोध करने एवं घटना की जानकारी परिजनों तथा पुलिस को देने की बात कहने पर अभियुक्त द्वारा शादी करने का आश्वासन दिया गया, किन्तु बाद में अभियुक्त व उसके भाइयों द्वारा शादी से इन्कार करते हुए वादिनी एवं उसके भाइयों को जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0 68/2026 धारा 64/351(3) बीएनएस बनाम पंकज व अन्य पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

प्रकरण में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 10.05.2026 को व0उ0नि0 सविन्द्र राय मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र प्रधान निवासी ग्राम नूरपुर बुतात थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को उसके घर से समय करीब 05:35 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

पंकज कुमार पुत्र प्रधान निवासी ग्राम नूरपुर बुतात थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 68/2026 धारा 64/351(3) बीएनएस थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

व0उ0नि0 सविन्द्र राय अपाचे द्वितीय टीम, थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़